

:: कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड़ (राज0) ::

क्रमांक :- 51

दिनांक 28.12.26

:: आदेश ::

मैं रोहित सक्सेना, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड़ एतद्वारा धारा 13(2) बी.एन.एस.एस की शक्तियों का प्रयोग करते हुए माह नवंबर, वर्ष 2026 में घोषित राजकीय/स्थानीय अवकाशों में झालावाड़ न्यायक्षेत्र में स्थित न्यायालयों के क्षेत्राधिकारिता के पुलिस थानों में उत्पन्न होने वाले आवश्यक प्रकृति के फौजदारी कार्य यथा न्यायिक अभिरक्षा, पुलिस अभिरक्षा, निरोध अवधि की अभिवृद्धि, अंतर्गत धारा 167 दण्ड प्रक्रिया संहिता/धारा 187 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, आवश्यक प्रकृति के जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 437 दण्ड प्रक्रिया संहिता/धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, सुपुर्दगी आवेदन अंतर्गत धारा 451, 457 दण्ड प्रक्रिया संहिता/धारा 497, 503 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, गिरफ्तारी वारंट की पालना में गिरफ्तार हुए व्यक्तियों के संबंध में आदेश, धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता/धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कथन, मृत्युकालीन कथन, धारा 196 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत मृत्यु समीक्षा जाँच व अन्य इसी प्रकृति के सभी आवश्यक फौजदारी कार्य करने के लिए निम्न लिखित अवकाश के दिनों में निम्न न्यायिक अधिकारीगण को अधिकृत करता हूँ:-

क्र.सं.	अवकाशकालीन न्यायिक अधिकारी का नाम मय पद	मोबाईल नं.	अवधि
1	सुश्री निनिशा अग्रवाल, ए.जे.एम., झालावाड़	8239607715	07.11.2026 08.11.2026 09.11.2026 10.11.2026
2	श्री किशन सान्दु, जे.एम., झालावाड़	8290715433	22.11.2026, 24.11.2026,
3	श्रीमति मीनाक्षी व्यास, ए.सी.जे.एम. सं.02 झालावाड़	9414519074	11.11.2026 12.11.2026 13.11.2026
4	श्री अमन गुप्ता, ए.सी.जे.एम. सं.01 झालावाड़	8196816858	01.11.2026, 29.11.2026
5	श्री यशवन्त आमेरिया, ए.सी.जे.एम., झालरापाटन	7737577299	14.11.2026, 15.11.2026

उपरोक्त अधिकृत अवकाशकालीन मजिस्ट्रेट्स से यह अपेक्षा की जाती है कि वह निम्नलिखित दिशा निर्देशों की पालना करेंगे-

01. अवकाशकालीन मजिस्ट्रेट अपने न्यायालय में कार्यरत कर्मचारियों के सहयोग से समय 11.00 ए.एम. से 1.00 पी.एम. तक सम्पादित करेंगे।
02. अवकाशकालीन मजिस्ट्रेट, अपने न्यायालय में निर्धारित समय में उपस्थित रहेंगे अथवा आवश्यक प्रकृति के कार्य खत्म होने तक।
03. उपरोक्त न्यायालय समय समाप्त होने के पश्चात अपने मुख्यालय पर उपस्थित रहकर उक्त कार्य करेंगे, बिना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय की पूर्व अनुमति के बिना अपना मुख्यालय परित्याग नहीं करेंगे।
04. उपरोक्त अवकाशकालीन अधिकारी किन्हीं अपरिहार्य कारणों से कार्य करने में असमर्थ होने की दृष्टि में एक दिवस पूर्व आवश्यक रूप से इस कार्यालय को सूचना प्रेषित करेंगे।
05. उपरोक्त कार्य दिवस के संबंध में नियुक्त अधिकारी आपस में आपसी सहमति से तिथियों का बदलाव इस कार्यालय को सूचित कर सकेंगे।

06. यदि संभव हो तो अवकाशकालीन मजिस्ट्रेट उस दिन निष्पादित किए गए कार्य का लेखा जोखा एक रजिस्टर के रूप में रखेंगे।
07. अवकाशकालीन मजिस्ट्रेट जिस न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता का कार्य सम्पादित करेंगे समस्त दस्तावेजात संबंधित न्यायालय को यथाशीघ्र प्रेषित करेंगे।
08. न्यायिक अभिरक्षा वारण्ट व रिमाण्ड आदेश पर आगामी तिथि पर संबंधित न्यायालय में पेश करने का नोट अंकित करेंगे।
09. अधिकारीगण अपने पद व सील के नीचे अवकाशकालीन मजिस्ट्रेट का अंकन करेंगे।
10. तारांकित अवकाश के परिवर्तित होने की स्थिति में ड्यूटी परिवर्तित अवकाश के लिए मान्य होगी तथा उपरोक्त अवकाश दिवस के पूर्व-पश्चात दिन/दिनों में किन्हीं कारणों से अवकाश घोषित हो जाता है तो वही न्यायिक अधिकारी आगामी दिवस/दिवसों के लिए भी अवकाशकालीन अधिकारी समझा जावेगा। जिन भी न्यायिक अधिकारियों की रिमाण्ड ड्यूटी लगाई गई है, अवकाश के एक दिन पूर्व कार्यालय समय पश्चात् से आगामी कार्य दिवस के कार्यालय समय पूर्व तक उनकी रिमाण्ड ड्यूटी प्रभावी होगी।
11. इसके अतिरिक्त उपरोक्त सारणी अनुसार ड्यूटीरत अधिकारी राज्य अथवा राज्य के बाहर से झालावाड़ पधारने वाले माननीय न्यायाधिपतिगण के झालावाड़ प्रवास पर उनके आगमन, प्रवास एवं प्रस्थान के दौरान उनके पद एवं गरिमा के अनुरूप एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशानुसार प्रोटोकॉल ड्यूटी भी करेंगे।

नोट:- उपरोक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के अलावा संबंधित आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न होने वाले मामले अपने मूल न्यायालय के पीठासीन अधिकारी/लिंक अधिकारी यदि मुख्यालय पर उपलब्ध हो तो आवश्यक प्रकृति के उपरोक्त कार्य करने हेतु इस आदेश से बाधित नहीं रहेंगे।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
झालावाड़।

कमांक-1742-51

दिनांक 28.10.26

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, महोदय झालावाड़
02. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड़ संख्या 01 एवं 02/भवानीमण्डी/अकलेरा/मनोहरथाना/झालरापाटन/चौमहला
03. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झालावाड़
04. न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड़/खानपुर/पिड़ावा/भवानीमण्डी/अकलेरा
05. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, झालरापाटन।
06. अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड़।
07. प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, झालावाड़।
08. श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय झालावाड़ को प्रेषित कर लेख है कि झालावाड़ जिले के समस्त आरक्षी केन्द्र के थानाधिकारियों को आदेश से सूचित करने का श्रम करें।
09. प्रभारी अधिकारी वायरलेस केन्द्र झालावाड़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि झालावाड़ जिले के समस्त आरक्षी केन्द्र के थानाधिकारी को इस आदेश से जरिए वितन्तु संदेश सूचित किया जावे।
10. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय को झालावाड़ न्यायक्षेत्र की **Website-jhalawar.dcourts.gov.in** पर इस आदेश को अपलोड करने हेतु।
11. आदेश/संबंधित पत्रावली।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
झालावाड़।